न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 1/2018

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा निवासी मूण्डला(सरकन्या) तहसील मांगरोल जिला बारां
...अपीलान्ट

♠ बनाम ♠

1. ग्राम पंचायत रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां जर्ये सरपंच साहब ग्राम पंचायत रायथल तहसील मांगरोल जिला बारां
2. जितेन्द्र कुमार माता निर्मला बाई पुत्र नामालूम गेलड पुत्र रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा
3. निर्मला नाता पत्नि किशनलाल पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी ग्राम तोरण तहसील दीगोद जिला कोटा

....रेस्पोडेन्टस

सम्मानीय सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 05.01.2018 से दर्ज इन्तकाल नं0 349 ग्राम मूण्डला (सरकन्या) तहसील मांगरोल जिला बारां से व्यथित होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

निर्णय दिनांक : 20.08.2018

दायरा दिनांकः 17.07.2018

अपीलान्ट निम्न निवेदन करता है कि ग्राम पचायत रायथक के सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया इन्तकाल नं0 349 ग्राम कूण्डला प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत रायथल ने इस तथ्य की भी जांच नही की है, कि निर्मला पत्नि रामेश्वर मीणा निवासी मूण्डला ने रामेश्वर की मृत्यु दिनांक 15.10.1997 को हो जाने के बाद ग्राम मूण्डला व अपीलान्ट तथा समस्त चल-अचल सम्पत्ति का परित्याग करके दूसरा नाता विवाह ग्राम तोरण तह0 दीगोद जिला कोटा के निवासी किशनलाल पुत्र प्रभुलाल मीणा के साथ कर लिया है। और अभी अपने पति किशनलाल के साथ ग्राम तोरण में निवास कर रही है। इसका प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रायथल ने ही दिनांक 21.12.2013 को जारी कर रखा है। पूनः ग्राम पंचायत रायथल रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा इन्तकाल तस्दीक करना सर्वथा त्रुटीपूर्ण एवं अवैध है। रेस्पोडेन्ट कम 1, 2 व 3 तथा ग्राम पंचायत रायथल के प्रमाण पत्र के आधार पर इन्तकाल नं0 349 ग्राम मूण्डला (सरकन्या) खारिज किया जाना तथा हाल खाता संख्या 142 में दर्ज क्षेत्रफल 3 किता रकबा 2.65 है0 हाल खाता संख्या 45 में दर्ज क्षेत्रफल किता 4 रकबा 1.53 है0 व हाल खाता संख्या 130 में दर्ज क्षेत्रफल किता 4 रकबा 0.61 है0 में से रेस्पोडेंट नं0 2 व 3 का नाम हटाया जाना न्यायसंगत होगा समस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है खाता संख्या 128 में दर्ज किता 3 रकबा 1.89 है0 खाता संख्या 131 मे दर्ज

रकबा 1.43 है0 खाता संख्या 143 में दर्ज रकबा 2.07 है0 में से भी रेस्पोडेंट का नाम हटाया जावें। अतः निवेदन है कि इन्तकाल नं0 349 दिनांक 05.01.2018 ग्राम मूण्डला (सरकन्या) तहसील मांगरोल जिला बारां को निरस्त फरमाया जावें हाल खाता संख्या 103, 45, 142, 128, 131 व 143 ग्राम मूण्डला तहसील मांगरोल में दर्ज आराजी क्रमशः किता 4 रकबा 0.61 है0, किता 4 रकबा 1.53 है0, किता 3 रकबा 2.65 है0, रकबा 1.89 है0, रकबा 1.43 है0 व रकबा 2.07 है0 में से रेस्पोडेंट नं0 2 जितेन्द्र कुमार व रेस्पोडेंट नं0 3 निर्मला बाई का नाम खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त उनवान की अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ता 3 को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया, रजिस्टर्ड नोटिस मय पोस्ट ऑफिस रसीद पत्रावली में शामिल है नियत दिनांक को रेस्पोडेंट उपस्थित नही होन पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गयी प्रस्तुत इंतकाल नं0 349 ग्राम मूण्डला (सरकन्या) व अन्य राजस्व रेकार्ड जमाबंदी का अवलोकन ध्यान पूर्वक किया गया। ग्राम पंचायत रायथल द्वारा जारी प्रमाण पत्रो का भी अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्टन ने अपनी बहस में बताया कि अपीलान्ट का शामलाती खाता संख्या नम्बर 142 में दर्ज रकबा 2.65 है0 खाता संख्या 45 में दर्ज रकबा 1.53 है0, खाता संख्या 130 में दर्ज रकबा 0.61 है0 खाता संख्या 128 में दर्ज रकबा 1.89 है0, खाता संख्या 131 में दर्ज रकबा 1.43 है0 ओर खाता संख्या 143 में दर्ज रकबा 2.07 है0 है। इन सभी खातो में अपीलान्ट का शाम्भिलाती हिस्सा है, ओर अपीलान्ट अपने हिस्से की आराजी को स्वतंत्रता पूर्वक तन्हा काबिज होकर काश्त कर रहा है। अपीलान्ट के काबिज काश्त से अन्य सहखातेदारों को कोई परेशानी नही है तथा अन्य सहखातेदारों से अपीलान्ट को भी कोई परेशानी नही है।

आगे अपनी बहस में बताया कि अंपीलान्ट के पिता रामेश्वरजी का स्वर्गवास होने पर ग्राम पंचायत रायथल तहसील मांगरोल के वारिस प्रमाण पत्र बनाया था, उक्त वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलान्ट व मृतक भाई नरेन्द्र को वारिस माना था तथा अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास भी दिनांक 20.05.2008 को हो चुका है इस तरह उत्तराधिकारी तौर पर स्वर्गीय रामेश्वरजी का एक भाग उत्तराधिकारी अपीलान्ट है। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में यह भी बताया कि उनकी जननी माता का स्वर्गवास 2008 मे हो जाने के बाद उनके पिता रामेश्वरजी ने नाता प्रथा से दूसरा विवाह निर्मला बाई रेस्पोडेंट क्रम 3 के साथ कर लिया था, निर्मला अपने साथ गेलड पुत्र के रूप में जितेन्द्र कुमार रेस्पोडेन्ट क्रम 2 को अपने साथ लाई थी। आगे बहस में बताया कि अपीलान्ट के पिता रामेश्वरजी का स्वर्ग वास होने के पश्चात निर्मला बाई ग्राम मूण्डला को छोडकर सम्पूर्ण सम्बन्ध खत्म करके ग्राम तोरण, तह0 दीगोद जिला कोटा चली गई और अपने साथ अपने गेलड पुत्र जितेन्द्र कुमार को भी ले गई और ग्राम तोरण जाकर वहां के निवासी

...शनलाल मीणा से विवाह कर लिया ओर अभी किशनलाल मीणा के साथ बहैसियत पत्नि निवास कर रही है। निर्मला बाई के दूसरा विवाह के संबंध में वकील अपीलान्ट ने प्रमाण पत्र ग्राम पचांयत रायथल दिनांक 21.12.2013 व भामाशाह कार्ड संख्या 2034–9074–12371 ग्राम तोरण पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा पेश किया जिसमें निर्मला बाई का नाम मुखियां के तौर पर दर्ज है। तथा पति किशनलाल दर्ज, पुत्री अंतिमा व पुत्र लीलाधर के नाम भी दर्ज है। वकील अपीलान्ट ने बताया कि यह स्पष्ट प्रमाण है कि निर्मला बाई ने दूसरा विवाह कर लिया है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट ने निर्मला बाई की वोटर आईडी पर भी ध्यान दिलाया जिसमें निर्मला बाई पत्नि किशनलाल जाति मीणा मतदान केन्द्र राज0 उच्च माध्य0 विद्यालय तोरण जिला कोटा दर्ज हो रहा है। अपनी बहस के समर्थन में वकील अपीलान्ट ने आर0आर0डी0 2005 पेज 161 पेश करके कहा कि इस न्यायिक दृष्यन्त के अनुसार गेलड पुत्र को अपने सौतेले पिता की जायदाद में कोई हिस्सा प्राप्त नही होता अर्थात उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व0 रामेश्वर जी का गेलड पुत्र उत्तराधिकारी नही हो सकता दूसरा न्यायिक दृष्टांत आर0आर0डी0 2006 पेज 318 पेश किया इस न्यायिक दृष्टांत के अनुसार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 मीणा जाति पर लागू नही होता है जबकि रेस्पोडेंट कम 3 निर्मला बाई ने दूसरा विवाह कर लिया है, इसलिए यह रामेश्वर मीणा की जायदाद में कोई हिस्सा प्राप्त नही कर सकती और बहस में बताया कि मृतक नरेन्द्र कुमार के स्थान पर जो इंतकाल नं0 349 जितेन्द्र कुमार व निर्मला बाई के पक्ष में तस्दीक किया गया है विधि विरूद्ध है क्योकि रेस्पोडेंट कम 2 व 3 कमशः जितेन्द्र कुमार व निर्मला बाई मृतक नरेन्द्र कुमार के उत्तराधिकारी नही है। अपी० मृतक नरेन्द्र कुमार का विधिक उत्तराधिकारी व वारिस है। इसलिए खातास संख्या 45, 128, 131, 142, 143 ओर 130 में दर्ज नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर व निर्मला बाई बेवा रामेश्वर मीणा तथा मृतक नरेन्द्र कुमार का नाम उपरोक्त वर्णित खातों में से विलोपित की जावें।

न्यायालय वकील अपीलान्ट की बहस व तर्को से सहमत है, तथा न्यायिक दृष्टांत राजस्व मंडल अजमेंर आर0आर0डी0 2005 पेज 161 व आर0आर0डी0 2006 पेज नं0 318 से पूर्णतया सहमत है तथा राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रायथल, वोटर आई डी भामाशाह कार्ड के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है किः–

01. इंतकाल नं0 349 दिनांक 05.01.2018 ग्राम मूण्डला (सरकन्या) तह0 मांगरोल निरस्त किया जाता है।
02. ग्राम मूण्डला तह0 मांगरोल जिला बारां के खाता सं0 130 में दर्ज आराजी 0.61 है0, खाता संख्या 145 में दर्ज आराजी 1.53 है0, खाता संख्या 142 में दर्ज आराजी 2.65 है0, खाता संख्या 128 में

दर्ज आराजी 1.89 है0 खाता सख्या 131 में दर्ज आराजी 1.43 है0, व खाता संख्या 143 में दर्ज आराजी 2.07 है0 में से मृतक नरेन्द्र कुमार जितेन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर, निर्मला बाई बेवा रामेश्वर मीणा का नाम विलोपित किऐ जाने व विलोपित किऐ गयें खातेदारों के हिस्से की आराजी भी अपीलान्ट के हिस्से में दर्ज की जाने का आदेश दिया जाता है निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मांगरोल को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय